

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की तिथि तैयार करके	अर्थ	रीस जबकी देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
Date of Application for the copy	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	Date of delivery of the requisite stamp & folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of making over the copy to the applicant
16/6/17	16/6/17	16/6/17	17/6/17	17/6/17



FOLIO NOT AVAILABLE
 सभी प्रतिलिपि ऑनलाइन प्रकाशित करियान के संख्या संख्या
 काग नं० 403 कार्ड सं० 8 जमशेदपुर अधिवृत्ती क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

पक्ष मीलन परपत्र तारीख सं० स्वत्वधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो

सदियान की क्रम सं०	अधिकारी का नाम जिला का नाम जहाँ और निवास	खेत		भूमि का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लॉट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है		नोटबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	(1) अधिवृत्ती रयत कर हेसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोपेसिब हो तो विशिष्टियों) (3) कोई विशेष शर्त और अनुषंगत बात यदि हो।
		खेसत संख्या	चौहदी				राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
403	फरीदा राणा - पिता अमूल - अवेदीन	3154 a b		सहन मकान - पक्का	0.00.30 0.01.80					
					0.02.10		काबिल - लगान			काबिल

प्रतिलिपिक
 17-6-17

तुलना किया
 17-6-17

Certified to be True Copy
 17/6/17
 Indian Evidence Act, 1972

किस प्रकार अधिवृत्ती जमशेदपुर कारखाने अधिनियम 1908 की धारा 83(2) तथा विहार एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम 1956 अधिनियम 1956 की धारा 10(4) के अन्तर्गत तैयार हुआ और इन्फोर्मा अधिनियम प्रकाशन दिनांक 10/08/2017